

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2022
जिसका उत्तर 14.12.2023 को दिया जाना है
राजमार्गों पर तेज गति से वाहन चलाना

2022. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण राजमार्गों पर तेज गति से वाहन चलाना तथा खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाना या ओवरटेक करना है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं/रिपोर्ट की गई हैं; और

(ग) राजमार्गों पर ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन की इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए किए गए नए प्रौद्योगिकीय उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2022" के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए यातायात नियम उल्लंघन के आधार पर वर्गीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गयी है:

श्रेणी	दुर्घटनाएँ	कुल % हिस्सा
तेज गति	1,10,027	72.4%
नशे में वाहन चलाना/शराब और नशीली दवाओं का सेवन/	3,268	2.2%
गलत दिशा में वाहन चलाना	7,330	4.8%
लाल बत्ती कूदना	707	0.5%
मोबाइल फ़ोन का उपयोग	2,479	1.6%
अन्य	28,186	18.5%
कुल	1,51,997	

2019 से 2022 के दौरान तेज गति के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है। यातायात नियम उल्लंघन (तेज गति, नशे में वाहन चलाना/शराब और

नशीली दवाओं का सेवन, गलत साइड पर वाहन चलाना आदि) के अनुसार वर्गीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं का डेटा संग्रह वर्ष 2019 से शुरू किया गया था।

(ग) मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 136ए के तहत प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने सा.का.नि. 575(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 के माध्यम से सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम अधिसूचित किया है। नियम में प्रावधान है कि स्थान, तारीख और समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण के फुटेज का उपयोग निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन न चलाने, सुरक्षात्मक हेडगियर या हेलमेट नहीं पहनने, लाल बत्ती कूदने, स्टॉप साइन का उल्लंघन करने, वाहन चलाते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग करने, कानून के विरुद्ध अन्य वाहनों को पार करने या ओवरटेक करने, यातायात के अधिकृत प्रवाह के खिलाफ वाहन चलाने आदि जैसे अपराधों के लिए चालान जारी करने के लिए किया जा सकता है।

‘राजमार्गों पर तेज गति से वाहन चलाना’ के संबंध में श्रीमती पूनम महाजन द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2022 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2019 से 2022 के दौरान तेज गति के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या -

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	5667	5922	7040	7683
2	अरुणाचल प्रदेश	30	30	53	57
3	असम	3367	2230	2968	2440
4	बिहार	2559	2129	1640	2819
5	छत्तीसगढ़	3115	3136	3337	3603
6	गोवा	1038	552	875	1072
7	गुजरात	3392	3105	3194	3319
8	हरियाणा	2643	1861	2104	1999
9	हिमाचल प्रदेश	एनआर	0	483	524
10	झारखंड	488	938	1565	1712
11	कर्नाटक	12704	10322	10456	11903
12	केरल	6951	4574	4778	9060
13	मध्य प्रदेश	7748	8127	8970	10860
14	महाराष्ट्र	6391	5055	5751	7508
15	मणिपुर	238	160	174	257
16	मेघालय	64	58	71	101
17	मिजोरम	10	11	13	38

18	नगालैंड	73	84	214	116
19	ओडिशा	3113	2835	3140	3001
20	पंजाब	905	686	1919	1723
21	राजस्थान	5716	5019	5686	6156
22	सिक्किम	25	22	40	32
23	तमिलनाडु	14905	13125	14321	17124
24	तेलंगाना	5740	6500	5912	6608
25	त्रिपुरा	225	173	188	189
26	उत्तराखंड	500	384	570	622
27	उत्तर प्रदेश	6558	5182	6077	6150
28	पश्चिम बंगाल	1498	1204	1588	867
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52	8	4	3
30	चंडीगढ़	30	15	21	21
31	दादर और नगर हवेली	0	0	0	11
32	दमन और दीव	0			
33	दिल्ली	0	246	317	680
34	जम्मू और कश्मीर	2064	1512	1750	1664
35	लद्दाख	एनए	एनए	31	81
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0
37	पुदुचेरी	485	411	535	24
	कुल	98294	85616	95785	110027

नोट: 1. एनआर - रिपोर्ट नहीं किया गया। 2. एनए - उपलब्ध नहीं है
